**सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां**

2287. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सतकर्ता समितियों ने अब तक क्या कार्य किये हैं?

**नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी परिवीक्षा हेतु उचित दर दुकान/ग्राम स्तर पर निगरानी/परामर्शदात्री समितियां गठित करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे ऐसी समितियां विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम और उचित दर दुकान के स्तर पर गठित करें। उनसे इन समितियों में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख नागरिकों, उपभोक्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया गया था। अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलभ्यता की परिवीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऐसी समितियों का गठन कर लिया गया है और वे कार्य कर रही हैं।

**जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ छापे**

2288. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कुल कितने छापे मारे गये हैं और राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों को लिखे गये पत्रों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी का निवारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जमाखोरी और कालाबाजारी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को क्या सजा दी जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है?

**नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मारे गए छापों तथा वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत जांचे गए तथा अपमिश्रित पाए गए खाद्य नमूनों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े क्रमशः विवरण I तथा II पर दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे जोरी और अन्य

कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा ऐसे अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई में तेजी लायें। चालू वर्ष 1992 के दौरान

(30-6-92 तक प्राप्त सूचना के अनुसार) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है :—

| | |
|---|---|
| मारे गये छापों की संख्या . . . . . | 52,503 |
| गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या . . . . | 1,999 |
| उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया . . . | 2,296 |
| दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या . . . . . | 119 |
| जब्त माल का मूल्य . . . . . | 840.48 |
| (लाख रु० में) . . . . . | |

(ग) और (घ) इस मंत्रालय, में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक अथवा अन्य कार्रवाई से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने के अपराधी पाए गए व्यक्ति उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड जिसमें आज्ञापक कारावास की शर्त है, के भागी होते हैं। वर्ष 1989–90 तथा 1991 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:–

| वर्ष | दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| 1989 . . . . . | 680 |
| 1990 . . . . . | 603 |
| 1991 . . . . . | 291 |

**विवरण–I**

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मारे गए छापे।**

| | निम्नलिखित वर्ष में मारे गए छापों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1989 | 1990 | 1991 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश . . . | 7150 | 9948 | 11221 |
| 2. असम . . . . | 2164 | 1956 | 3147 |

| | | 1989 | 1990 | 1991 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश . . . | 29 | 16 | 1 |
| 4. | बिहार . . . . | — | 506 | 276 |
| 5. | गुजरात . . . . | 4260 | 5461 | 6977 |
| 6. | गोवा . . . . | 509 | 43 | 45 |
| 7. | हरियाणा . . . . | 188 | 127 | 754 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश . . . | 13694 | 2508 | 28645 |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर . . . | 217 | 22 | 103 |
| 10. | कर्नाटक . . . . | 4578 | 3433 | 4584 |
| 11. | केरल . . . . | 1125 | 582 | 14357 |
| 12. | मध्य प्रदेश . . . . | 3947 | 4224 | 3903 |
| 13. | महाराष्ट्र . . . . | 439 | 502 | 18296 |
| 14. | मणिपुर . . . . | — | 15 | 73 |
| 15. | मेघालय . . . . | 1302 | 332 | 413 |
| 16. | मिजोरम . . . . | 34 | 87 | 322 |
| 17. | नागालैण्ड . . . . | शून्य | शून्य | शून्य |
| 18. | उड़ीसा . . . . | 408 | 7078 | 2624 |
| 19. | पंजाब . . . . | 10418 | 13902 | 27661 |
| 20. | राजस्थान . . . . | 948 | 1798 | 1117 |
| 21. | सिक्किम . . . . | 4 | 3 | 11 |
| 22. | तमिलनाडु . . . . | 6773 | 5479 | 12172 |
| 23. | त्रिपुरा . . . . | 229 | 369 | 218 |
| 24. | उत्तर प्रदेश . . . | 44290 | 67052 | 19579 |
| 25. | पश्चिमी बंगाल . . . | 2395 | 1598 | 2656 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह . . | 4403 | 5694 | 4100 |
| 27. | चंडीगढ़ . . . . | 20 | 11 | 78 |
| 28. | दादरा व नगर हवेली . . . | शून्य | शून्य | 4 |
| 29. | दिल्ली . . . . | 1976 | 595 | 2075 |
| 30. | दमन व दीव . . . | शून्य | 51 | 39 |
| 31. | लक्षद्वीप . . . . | शून्य | शून्य | शून्य |
| 32. | पांडिचेरी . . . . | 899 | 610 | 581 |
| | योग : | 112399 | 134002 | 166049 |

**विवरण-II**

**खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत देश में वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान जांच किए खाद्य नमूनों तथा अपमिश्रित पाए गए नमूनों की राज्यवार संख्या।**

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1988 | | 1989 | | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जांच किए गए नमूनों की सं० | अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं० | जांच किए गए नमूनों की सं० | अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं० | जांच किए गए नमूनों की सं० | अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9191 | 776 | 8639 | 577 | 8928 | 813 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | 22 | 12 | 9 | 1 |
| 3. | असम | 2178 | 284 | 2069 | 320 | 1856 | 249 |
| 4. | बिहार | 2067 | 470 | 2569 | 415 | 2254 | 441 |
| 5. | गोवा | 313 | 36 | 392 | 32 | 472 | 21 |
| 6. | गुजरात | 10701 | 880 | 11015 | 669 | 9975 | 655 |
| 7. | हरियाणा | 4552 | 681 | 3316 | 435 | 4329 | 589 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1159 | 282 | 1578 | 325 | 1748 | 278 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 2351 | 589 | 763 | 73 | 759 | 84 |
| 10. | कर्नाटक | 3260 | 354 | 3081 | 181 | 1902 | 111 |
| 11. | केरल | 6754 | 180 | 12070 | 321 | 10417 | 196 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6821 | 1408 | 6130 | 1244 | 6105 | 1293 |
| 13. | महाराष्ट्र | 20664 | 1294 | 20883 | 913 | 21860 | 895 |
| 14. | मणिपुर | 46 | 6 | 23 | 5 | 16 | 3 |
| 15. | मेघालय | 142 | 37 | 138 | 15 | 121 | 18 |
| 16. | मिजोरम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 17. | नागालैण्ड | 110 | शून्य | 165 | 39 | 101 | 18 |
| 18. | उड़ीसा | 1558 | 562 | 1336 | 373 | 1237 | 361 |
| 19. | पंजाब | 3801 | 501 | 3598 | 345 | 4221 | 440 |
| 20. | राजस्थान | 3585 | 1070 | 3454 | 1038 | 1883 | 480 |
| 21. | सिक्किम | 6 | 3 | 33 | 10 | 35 | 8 |
| 22. | तमिलनाडु | 19298 | 1867 | 18937 | 1488 | 18303 | 1266 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा | 266 | 22 | 126 | 5 | 398 | 34 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 24745 | 3085 | 17382 | 2016 | 18344 | 2368 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2260 | 390 | 1820 | 267 | 1721 | 275 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 118 | 7 | 34 | 2 | 53 | 4 |
| 27. | चंडीगढ़ | 520 | 103 | 513 | 71 | 269 | 40 |
| 28. | दादरा व नागर हवेली | 42 | 3 | 38 | 1 | 24 | 2 |
| 29. | दमण व दीव | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1 | 1 |
| 30. | दिल्ली | 1542 | 312 | 1564 | 246 | 499 | 79 |
| 31. | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | — | — |
| 32. | पाण्डिचेरी | 1740 | 163 | 911 | 111 | 793 | 101 |
| | योग : | 130390 | 15365 | 122599 | 11549 | 118580 | 11124 |

वर्ष 1991 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**Allocation of imported edible oil to Gujarat**

2289. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have demanded the Centre far allocation of imported edible oil;

(b) if so, what is the monthly demand and alio ation to the State for oil iur-*ing the year 1991-92; and

(c) whether Government of India intend to import R.B.D. Palmolein oil during the 1991-92 oil year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Gujarat has placed its demand for allocation of edible oil at the rate of 8000 MTs per month. During the oil year 1991-92, allocation has been made to Gujarat for the months of November, 91 January, 92, February, 92, April, 92 and July, 92 (ad-hoc) only at the rate of 1500 MTs each month.

(c) During the oil year 1991-92, a quantity of 0,95 lakh MTs of RBD palmolein has already been imported till 30th June, 1992. The Govt, of India has decided to import some more quantity of oil to meet the PDS demand.

**Quofa of edible oil for Maharashtra**

2290. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR
SHRI SUSHILKUMAR SAM-BHAJIRAO SHINDE.

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the Quota of edible oil fixed for 1992-93, for Maharashtra to be distributed through the Public Distribution System;

(b) how much has been released till date; and

(c) what was the demand made by Maharashtra?